संख्या-5 /2018/1942/एक-4-2018-रा०-4

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, देवीपाटन, कानपुर मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हेतु अन्तर धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2017/1467/एक-4-2017-रा-4 दिनांक 13-09-2017 एवं पत्र संख्या-1596/एक-4-2017-रा-4, दिनांक 25.09.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलायुक्त के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर प्रतिवाहन स्वरूप किये जाने हेतु प्रति वाहन रूपया-12,16,782/- की दर से अर्थात कुल रू0 24,33,564/- एवं 02 बोलोरो वाहन प्रतिवाहन रूपये- 5,95,441/- की दर से कुल रूपये 11,90,882/- (रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार आठ सौ बयासी मात्र) अर्थात कुल रूपये की धनराशि रूपये 36,24,446/-(रूपये छत्तीस लाख चौबीस हजार चार सौ छियालीस मात्र) व्यय किये जाने की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-5/2017 दिनांक 11.09.2017 द्वारा जी०एस०टी० सेस 5 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण स्वीकृत वाहनों की कीमत प्रतिवाहन रूपया-12,16,782/- के स्थान पर रूपया-13,15,273.41/- हो जाने पर प्रति वाहन अन्तर धनराशि रूपये 98,491.41/- पूर्णांकित धनराशि रूपये 98,491/- की दर से 02 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर हेतु अन्तर धनराशि रूपये 1,96,982/- एवं बोलोरो वाहन वाहन की कीमत रूपये 5,95,441/- के स्थान पर रूपये 6,15,386/- हो जाने के कारण अन्तर धनराशि रूपये 19,945/- की दर से 02 बोलोरो वाहन के अन्तर धनराशि रूपये 39,890/- अर्थात उक्त शासनादेश दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से 02 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर एवं 02 बोलोरो वाहन के क्रय हेतु अन्तर धनराशि रूपये 2,36,872/- की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्वरावृत्ति नहीं हो रही है।
(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
(3) भारत सरकार द्वारा डी०जी०एस० एण्ड डी० दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लस जी०ई०एम० पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अत: उक्त वाहनो का क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अत: उक्त वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी०ई०एम० पोर्टल की दरे अथवा डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरे, जो भी न्यूनतम हो और लागू हो, पर किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिलाप्रशासन-101-03-मुख्य कार्यालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद से किया जायेगा।

4- स्वीकृति धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-ई5-236/दस-201 दिनांक 26.02.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-5/2018/1942(1)एक-4-18-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय),उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय),उ०प्र०, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
5- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।